न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 152/2008 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. पूनिया पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार,
2. चिरंजी पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार,
3. रामचन्दर पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार,
4. बसंती पुत्री प्रभाती जाति कुम्हार,
5. कौशल्या पुत्री प्रभाती जाति कुम्हार,
6. बिमला पुत्री प्रभाती जाति कुम्हार निवासी पाटन मेवान तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. प्रभाती पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल कौम कुम्हार निवासी पाटन मेवान तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।
2. शांति पुत्री रामजीलाल पत्नी श्री रामप्रसाद जाति कुम्हार निवासी नौगांवा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
3. पांची पुत्री रामजीलाल पत्नी श्री किशन जाति कुम्हार निवासी जाजौर तहसील अलवर जिला अलवर राज0 ।
4. भूतेरी पुत्री रामजीलाल पत्नी श्री हीरालाल जाति कुम्हार निवासी जाजौर तहसील अलवर जिला अलवर राज0 ।
5. सुन्दरी देवी पुत्री रामजीलाल पत्नी श्री हरिया जाति कुम्हार निवासी नौगांवा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 ।

उपस्थित :–

1. श्री नवनीत तिवाड़ी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री पुष्कर राज मुखिजा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री सूबेसिंह यादव अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 ल0 5

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.04.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के निर्णय दिनांक 29.8.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा इस्तकरारहक के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक ख0 नं0 707/0.11 का वादी एवं तर0 प्रति0 सं0 8 ल0 11 का पिता श्री रामजीलाल पुत्र बिसना कुम्हार पट्टेदार काबिज काश्त खतोदार था जिसके हम प्रार्थी व तर0 प्रति0 काबिज काश्त जायज विधिक वारिसान हैं तथा अपने पिता रामजीलाल के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर कब्जा है एवं फसल काश्त की हुई है । अप्रार्थी सं0 1 ल0 6 का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है । सम्वत् 2023 में अप्रार्थीगण के पिता ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से साजबाज होकर गलत रूप से अपने आपको शिकमी दर्ज कराया जो इन्द्राज शिकमी का खिलाफ मौका व खिलाफ कानून अंकन आया है । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने सम्वत् 2029 में खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बन्दोबस्त विभाग से पहले के इन्द्राज को नये नम्बर पैमूद करते वक्त प्रार्थी व तर0 प्रतिवादी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी साबित ख0 नं0 707/0.11 का अंकन गलत रूप से अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज कर दिया जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है जिसे हजफ कराकर हम प्रार्थी व तर0 प्रति0 अपने नाम का इन्द्राज बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के हकदार है । प्रार्थी के पिता का नाम प्रभाती पुत्र रामजीलाल है एवं अप्रार्थी असल के पिता का नाम प्रभाती पुत्र मंशा है दोनों ही जाति से कुम्हार हैं । बन्दोबस्त ने गलती से 11 बिस्वा रकबा की जद तक प्रभाती पुत्र मंशा के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया जो बदस्तूर चला आ रहा है । इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 29.8.2008 को वादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 29.8.2008 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि साबिक ख0 नं0 707/0.11 वादी एवं तरतीबी प्रति0 सं0 8 ल0 11 का पिता श्री रामजीलाल पुत्र बिसना कुम्हार पट्टेदार काबिज काश्त खातेदार था जिसके हम प्रार्थी व तर0 प्रतिवादी काबिज काश्त जायज विधिक वारिसान है तथा अपने पिता के जीवनकाल से ही विवादित आराजी पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर हमारा कब्जा है एवं फसल काश्त की हुई है । अप्रार्थी सं0 1 ल0 6 का विवादित आराजी से किसी प्रकार का

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

कोई लेना देना नहीं है । सम्वत् 2023 में अप्रार्थीगण के पिता ने राजस्व कर्मचारी और अधिकारियों से साजबाज होकर गलत रूप से अपने आपको शिकमी दर्ज कराया जो इन्द्राज शिकमी का खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है । साबिक ख0 नं0 707 का 11 बिस्वा हाल ख0 नं0 848 जिसका रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में मिला है जबकि वादी/रेस्पो0 ने यह स्पष्ट नहीं किया कि शेष रकबा यानि 15 बिस्वा किस नम्बर से मिला जबकि वास्तव में साबिक ख0 नं0 707 का कोई रकबा हाल ख0 नं0 848 में मिला ही नहीं । मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0 नं0 707 रकबा 11 बिस्वा का हाल ख0 नं0 871 बना है और जो मिलान क्षेत्रफल से भलीभांति प्रमाणित होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मिलान क्षेत्रफल को बगैर देखे ही वादी/रेस्पो0 के कथन में सत्यता मानते हुए प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादी/रेस्पो0 के हम में होना गलत तरीके से माना है जबकि रेस्पो0 के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं बनता । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के मूलभूत सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है तथा उसे पाबन्द करने का अधिकारी नहीं था । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि साबिक ख0 नं0 707 का कोई रकबा हाल ख0 नं0 848 में मिला ही नहीं । मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0 नं0 707 का रकबा 11 बिस्वा का हाल ख0 नं0 871 बना है और जो मिलान क्षेत्रफल से साबित होता है । आराजी ख0 नं0 हाल 848 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा हमारी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जो मृतक पिता प्रभाती से विरासत में प्राप्त हुई है और हम मौके पर काबिज हैं । राजस्व रेकार्ड में अमल हो रहा है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त है । मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व रेकार्ड ऑफ राईट व कानून के अनुसार सही तौर पर इन्द्राज हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 1953 पेज 416, आर.एल.डब्ल्यू. 1977 पेज 326, ए.आई.आर. 1976 पेज 2621, आर.आर.डी. 1985 पेज 151 प्रस्तुत की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल से साबित है कि हाल ख0 नं0 848/1.06 साबिक ख0 नं0 706 मिन/0.01, 707/0.11, 708/0.14 से बना है जो जमाबन्दी सम्वत् 2012 के अनुसार रामजीलाल पुत्र बिशना के नाम दर्ज जो कि प्रार्थी/रेस्पो0 व तर0 अप्रार्थीयान का बुर्जुग था । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा इस साबिक खसरा नम्बर को हाल ख0 नं0 848 में शामिल करते हुए परभाती पुत्र मंशा के नाम दर्ज कर दिया जो साबिक रेकार्ड के विपरीत है । यह गलती शायद एक ही नाम के दो व्यक्ति होने से होना तहत न्यायालय ने जाहिर किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड से प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र साबित होना माना है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित होना नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास का निर्णय दिनांक 29.8.2008 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner